

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101843

दिनांक: 23/05/2022

लोक सूचना

श्री SHIV SAINI पुत्र श्री GYAN CHAND SAINI जाति SAINI निवासी 10 MADHAV NAGAR, SHIVPURI,
NANGAL JAISA BOHRA, JAIPUR 302012
श्री SHANKAR LAL SAINI पुत्र श्री GYAN CHAND SAINI जाति SAINI निवासी 10 HARIYA WALI
DHANI, JHOTWARA, JAIPUR 302012

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	विजयपुरा बास नानुसर, जयपुर (जयपुर)	SHREE SHEERSAGAR BUILDERS AND LAND DEVELOPERS, A 15, SHIV NAGAR, BENER ROAD, DADI KA PHATAK, JHOTWARA, JAIPUR	215	6703	0.6703
2.	विजयपुरा बास नानुसर, जयपुर (जयपुर)	SHREE SHEERSAGAR BUILDERS AND LAND DEVELOPERS, A 15, SHIV NAGAR, BENER ROAD, DADI KA PHATAK, JHOTWARA, JAIPUR	215/270	7082	0.7082
कुल					1.3785

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23-05-2022 को जारी की गयी।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जयपुरा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री दीपक तापडिया पुत्र श्री पुरुषोत्तम तापडिया बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	6-7	305.55
2.	श्रीमती सविता गोयल पत्नी श्री सुनील कुमार गोयल बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	35ए	223.33
3.	श्रीमती कृष्णा सैनी पत्नी श्री महेन्द्र सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	11	88.67
4.	श्रीमती सायर भाटी पत्नी श्री हनुमान सहाय बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	21	218.00
5.	श्री लाल राम पुत्र श्री बालू राम बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	27ए	75.00
6.	श्रीमती माया कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह कल्यानवत बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	43	99.30
7.	बालो कुमारी पुत्री अमर लाल बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	56 वेस्ट पार्ट	43.33
8.	श्री भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री मूल सिंह राजावत बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	15 वेस्ट पार्ट	110.00
9.	श्रीमती चोगानी पत्नी श्री रामस्वरूप बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	15 ईस्ट पार्ट	73.33
10.	श्रीमती पूनम पत्नी श्री महेश कुमार बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	25	184.88
11.	श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री रामानन्द सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	35	325.00
12.	श्रीमती मधु बुनकर पत्नी श्री पूरणमल बुनकर बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	27	82.02
13.	श्रीमती कंचन खण्डेलवाल पत्नी श्री सुनील कुमार खण्डेलवाल बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	52	120.00
14.	श्री प्रेम चंद पुत्र श्री सिंगाराम बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	42ए पूर्वी भाग	48.33
15.	श्रीमती पूनम देवी शर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	42ए पश्चिम भाग	48.33
16.	श्री किशोर सैनी पुत्र श्री गणेश सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	17ए	152.77
17.	श्री सुरेश कुमार डोगीवाल पुत्र श्री गोपाल लाल डोगीवाल बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	44ए-45 नार्थ पार्ट	162.5
18.	श्री अशोक सैनी पुत्र स्व0 रामनारायण सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	29ए	158.33
19.	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	19	166.66
20.	श्रीमती गोपाली दायमा पत्नी श्री रामगोपाल दायमा बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	20	166.66

PR01R-411
23.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

21.	श्री रामराम जागिड पुत्र म्व. श्री प्रहलाद मय जागिड बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	2	319.00
22.	श्रीमती सुमन जागिड पत्नी श्री सुनील जागिड बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	3	366.66
23.	श्रीमती सीता देवी जागिड पत्नी श्री रामराम जागिड बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	7ए	158.88
24.	श्रीमती सुमन जागिड पत्नी श्री सुनील जागिड बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	9	154.79
25.	श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री छितरमल यादव बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	60	200.00
26.	श्रीमती चेमली देवी पत्नी श्री ग्यारसीलाल सेनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	61	200.00
27.	श्री बाबूलाल बेरवा पुत्र श्री दीपाराम बेरवा बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	40	223.33
28.	श्री सुरेश कुमार डोंगीवाल पुत्र श्री गोपाल लाल डोंगीवाल बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	44ए-45 साउथ पार्ट	162.5
29.	श्री श्रवण कुमार सेनी पुत्र श्री फूलचंद सेनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	11बी	46.20
30.	श्रीमती अनोप देवी पत्नी श्री प्रकाश चंद बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	30	167.00
31.	श्री सीताराम कुमावत पुत्र श्री छितरमल कुमावत बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	54	200.00
32.	श्रीमती विमला आर्य पत्नी श्री पूरनचंद्र बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	56ए	86.66
33.	श्रीमती रत्नी देवी पत्नी श्री श्रवण कुमार सेनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	80	666.66
34.	श्री श्रवण कुमार सेनी पुत्र श्री भंवर लाल बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	84	555.55
35.	श्री विकास गर्ग पुत्र श्री नारायण गर्ग मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना कीर्ति सागर-आर	12	100.00
36.	श्री विकास गर्ग पुत्र श्री नारायण गर्ग मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना कीर्ति सागर-आर	04	112.26
37.	श्री विकास गर्ग पुत्र श्री नारायण गर्ग मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना कीर्ति सागर-आर	11	100.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आर्न लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जयपुरा, जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी

जयपुरा, जयपुरा

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुरा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डो- 937/19.05.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

—:सूचना:—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/ भू-आवटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	ऋमन ढाका पुत्र श्री मनीष कुमार ढाका (पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगन्नाथपुरी)	41	181.68
2	मोनिता ढाका पुत्र श्री मनीष कुमार ढाका (पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगन्नाथपुरी)	42	865.69

५

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जयपुरा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी- 935

दि:- 18.5.22

PRO/R-412
23-5-22



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-953

दिनांक 23/5/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या 40 योजना गिरनार कालोनी का फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती पुष्पा शर्मा को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में पंजीकृत मुख्तयारआम श्री सत्यप्रकाश शर्मा को किया गया। इसके पश्चात श्री सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रेम कुमार पुत्र श्री गौरी शंकर शर्मा को किया गया। इसके पश्चात श्री प्रेमकुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री सत्यप्रकाश शर्मा को किया गया। तत्पश्चात श्री सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा पंजीकृत उपहार पत्र श्रीमती पुष्पा शर्मा के पक्ष में निष्पादित किया गया है। आवेदक द्वारा मूल दस्तावेज गुम होने के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PR R-413
23/5/22

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी-2926

दिनांक-28.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-244	252 व.मी.	रामनगरिया	श्री अरुण कपूर पुत्र श्री धर्मवीर	श्री किशन लाल सैन पुत्र श्री नर्बदा प्रसाद सैन	मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

NA
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

NA
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

23.5.22
R-414

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 1398

दिनांक:- 23/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार/आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	965	गोविन्दपुरा (जविप्रा योजना)	श्री अक्षय राजपूत पुत्र श्री बगन सिंह	श्रीमती रानी ओड पत्नी श्री शाहमीर	अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 20.09.2019
2	31 (उत्तरी भाग)	सूरज नगर-द्वितीय (बस्सी सीतारामपुरा-बी गृ0नि0स0समिति)	श्री महेश कुमार वर्मा पुत्र श्री गोपीलाल वर्मा	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री पूरण मल सैनी	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 31.01.1997
3	38	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्रीमती सुतापा रॉय पत्नी स्व0 श्री संजय रॉय	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा0लि0 डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	अपंजीकृत मुख्तारआम दिनांक 18.04.2015

प्रति-4/6
23/5/22

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी- 1394

दिनांक 23/5/2022

-:आम सूचना:-

रामद्वारा कॉलोनी (द्वितीय) विकास समिति जयपुर द्वारा पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना रामद्वारा कॉलोनी का आवंटन/नियमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र.स.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	सांगानेर/सांगानेर	229	0.52	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		230	0.27	
		232	0.20	
		233	0.20	
	कुल	4	1.19 हैक्टेयर	

विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार उक्त योजना में भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)
1.	श्री हमीर सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह	1	495.00
2.	श्री सुरेश चन्द्र चौरडिया पुत्र श्री पदम चन्द्र चौरडिया	2	555.55
3.	श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री शम्भू सिंह	3	150.00
4.	श्री रामदास पुत्र श्री गोपाल दास	3ए	150.00
5.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री राम किशोर शर्मा	4	555.85
6.	श्रीमती कुमुद आकड पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार आकड	5	611.11
7.	श्री राधामोहन शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा	6	700.00
8.	श्री नारायण सिंह राठौड़ पुत्र श्री गुलाब सिंह राठौड़	17	84.72
9.	श्री स्वामी रामदयाल दास पुत्र स्व० श्री सुरजन दास	18	460.22
10.	श्री पुरुषोत्तम दास पुत्र श्री परमेश्वर दास	19	391.11
11.	श्री पुरुषोत्तम दास पुत्र श्री परमेश्वर दास	20	283.11
12.	श्री स्वामी रामदयाल दास पुत्र स्व० श्री सुरजन दास	21	304.89
13.	श्री हनुमान सहाय चौधरी पुत्र श्री महादेव जाट	22	94.25
14.	श्री हनुमान सहाय चौधरी पुत्र श्री महादेव जाट	22ए	90.65
15.	श्री दिनेश सिंह तौमर पुत्र श्री रघुवीर सिंह तौमर	23	202.50
16.	श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री नारायण लाल कुमावत	24	83.00
17.	श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री नारायण लाल कुमावत	25	83.00
18.	श्री नारायण लाल कुमावत पुत्र श्री लालचन्द कुमावत	26	83.00
19.	श्री नारायण लाल कुमावत पुत्र श्री लालचन्द कुमावत	27	182.56
20.	श्री शंकर लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद	28	431.56
21.	श्री बाबूलाल कुमावत पुत्र श्री चौथमल कुमावत	29	431.56
22.	श्री बाबूलाल कुमावत पुत्र श्री चौथमल कुमावत	30	431.56

उक्त योजना-रामद्वारा कॉलोनी ग्राम-सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर माह जून 2022 में लगाया जाना प्रस्तावित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 924

दिनांक 19-5-22

विज्ञप्ति

श्रीमती गोरा देवी पत्नि स्व. श्री गंगा सहाय द्वारा आवास संख्या 114 नागतलाई अनाज मंडी सुरजपोल योजना का नाम हस्तान्तरण हेतु अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं। आवेदित भुखण्ड का आवंटन जविप्रा द्वारा श्री रसुल खां पुत्र श्री बून्दू खां के पक्ष में जारी किया गया था। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर आवास संख्या 114 नागतलाई का नाम हस्तान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति /सस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि :-

1/ जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक :- जविप्रा/जोन-02/2022/डी- १३०

दिनांक 23/5/22

विज्ञप्ति

श्री अरविन्द कुमार प्रजापत पुत्र श्री बाबू लाल प्रजापत द्वारा भूखंड संख्या 126 किशनबाग नयाखेडा, अम्बाबाडी, जयपुर का नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदित भूखंड का आवंटन श्री गोपीचन्द पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा एवं श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री गोपीचन्द शर्मा के पक्ष में जारी किया गया था। श्री गोपीचन्द पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा एवं श्रीमति निर्मला देवी पत्नि श्री गोपीचन्द शर्मा के निधन पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखंड का नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाना है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर भूखंड संख्या 126 किशनबाग का नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

11
उपायुक्त जोन-02
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

880/R-419
23/5/22

82
उपायुक्त जोन-02
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-1400

दिनांक :- 20.5.22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	एमबी-3	सुरेन्द्रपाल कॉलोनी	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
2.	ई-73	श्याम नगर विस्तार	श्री एस बनर्जी पुत्र स्व. श्री ए. पी. बनर्जी	श्रीमती माया बनर्जी पत्नी श्री ए. पी. बनर्जी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
3.	420-421	विवेक विहार	श्री एस. आर. कटियार पुत्र श्री जी. आर. कटियार	श्री एस. आर. कटियार पुत्र श्री जी. आर. कटियार	आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान में समिति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर भिन्न हैं।
4.	659 ए	विवेक विहार	श्रीमती सरिता देवी पाटनी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार पाटनी	श्री दाऊ लाल मिश्रा पुत्र श्री बी. एन. मिश्रा	अपंजीकृत इकरारनामा गुम होने बाबत
5.	521	विवेक विहार	श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन उपासना एवं जन कल्याण संस्था जरिये अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व. श्री नारायण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101825

दिनांक: 23/05/2022

लोक सूचना

श्री **BHANWAR LAL** पुत्र श्री **RAMLAL** जाति **KHATIK** निवासी **567, KHATIKO KA MOHALLA, JHAG, JAIPUR 303009**

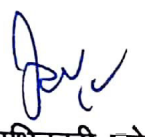
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	BHANWAR LAL S/O RAMLAL	939/262	17325	1.7325
2.	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	BHANWAR LAL S/O RAMLAL	940/262	2475	0.2475
3.	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	BHANWAR LAL S/O RAMLAL	941/262	24750	2.475
कुल					4.455

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **23-05-2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... 1183

दिनांक..... 23-5-2022

संशोधित लोक सूचना

श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार की दिनांक 10.03.2022 को जारी लोक सूचना में खसरा नम्बर 332 का रकबा सहवन से 0.8700 हैक्टर के बजाय 0.0300 हैक्टर सहवन से दर्ज हो गया था। अतः पूर्व में जारी लोकसूचना में 0.0300 हैक्टर के बजाय रकबा 0.8700 हैक्टर पढ़ा जावे।

उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 03 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23-5-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 1052

दिनांक

18-5-2022

-: सार्वजनिक सूचना :-

गैरब गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना न्यू कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 183.00 व. मी. का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की वैन का विवरण	अंतिम आवंटी घट्टा धारक का नाम
1	10	183.00	न्यू कॉलोनी	श्री हनुमान साहाय सैन पुत्र श्री श्याम लाल सैन	सोसायटी द्वारा नाम हस्तान्तरण श्री श्याम लाल सैन पुत्र श्री बदरी नाई के पक्ष कर दिया गया।	श्री श्याम लाल सैन पुत्र श्री बदरी नाई, निवासी-321, गवर्नमेन्ट स्कूल के पीछे, मीणों का मोहल्ला, गांव नींदड, वी.के.आई एरिया, आमेर जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।
- श्री श्याम लाल सैन पुत्र श्री बदरी नाई, निवासी-321, गवर्नमेन्ट स्कूल के पीछे, मीणों का मोहल्ला, गांव नींदड, वी.के.आई एरिया, आमेर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में इकरारनामा/विक्रय पत्र नहीं किया गया है।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर